संख्या 945/उन्तीस(2)/16–02 (22पेय.)/2004टी.सी.–1

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यूँकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
स्वजल परियोजना,
देहरादून।
2. **प्रबन्ध निदेशक,**
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।
3. **मुख्य महाप्रबन्धक,**
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।
4. **मुख्य अभियंता,**
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 18 नवम्बर, 2016

विषय : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण की नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत वर्ष 2006 में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित स्वजल परियोजना के प्राविधानों के आलोक में निर्गत शासनादेश संख्या 738/उन्तीस(2)/16–2(22पेय.)/2004 दिनांक 25 मार्च, 2006 के अनुसार बाह्य सहायतित कार्यक्रमों के साथ–साथ केन्द्र पोषित कार्यक्रमों, नाबार्ड, राज्य सैक्टर आदि सभी कार्यक्रमों में स्वैप पद्धति लागू करते हुए समस्त पेयजल योजनाओं के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव का कार्य 'उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति' (UWSSC) के माध्यम से सम्पादित किए जा रहे हैं। तदोपरान्त, समय–समय पर शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि 'उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति' के पास पर्याप्त तकनीकी दक्षता न होने अथवा इस निमित्त प्रशिक्षित स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण जहाँ एक ओर इन उप समितियों द्वारा कार्य सम्पादन में उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी अधिप्राप्ति नियमावली के पूर्ण अनुपालन में कठिनाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर इस व्यवस्था के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की गति धीमी होने तथा समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण आबंटित धनराशि का समय से उपयोग समय से नहीं हो पा रहा है, अगली किश्त आबंटित नहीं हो पा रही है अथवा धनाबंटन लैप्स हो रहा है। इसके अतिरिक्त 'उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति' के सदस्य के रूप में कोई विभागीय अधिकारी/कर्मचारी नामित न होने के कारण ऐसी योजनाओं के निर्माण में पायी जाने वाली कमियों/अनियमितताओं के सन्दर्भ में विभागीय कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है।

2. उपर्युक्त परिस्थितियों में, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पेयजल योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में उक्त सन्दर्भित शासनादेश सहित अन्य शासनादेशों, यदि कोई लागू हों, को तत्काल प्रभाव से संशोधित करते हुए जिला योजना, राज्य सैक्टर (नाबार्ड वित्त पोषण सहित), केन्द्र पोषित कार्यक्रम एवं बाह्य सहायतित कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु निम्नवत् नीति/प्रक्रिया निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) जिला योजना एवं राज्य सैक्टर (नाबार्ड वित्त पोषण सहित) के अन्तर्गत एकल ग्राम की गुरूत्व पेयजल योजना का नियोजन एवं निर्माण/क्रियान्वयन सामान्यतया सम्बन्धित ग्राम की 'उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति' के द्वारा सैक्टर संस्था का तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए किया जायेगा और कार्य की अधिप्राप्ति हेतु उप समिति द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, किन्तु यदि एकल ग्राम गुरूत्व पेयजल योजना की लागत इतनी है कि उसके लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियमावली के अनुसार ई–निविदा करना बाध्यकारी हो तो ऐसी एकल ग्राम गुरूत्व पेयजल योजना का नियोजन 'उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति' द्वारा किया जायेगा परन्तु ऐसी योजना का निर्माण/

क्रियान्वयन सम्बन्धित सैक्टर संस्था द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा सैक्टर संस्था की विभागीय कार्य पद्धति (Working Manual) के संगत प्राविधानों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(2) जिला सैक्टर/राज्य सैक्टर (नाबार्ड वित्त पोषण सहित) के अन्तर्गत एकल ग्राम पम्पिंग योजना तथा बहुल ग्राम गुरूत्व/पम्पिंग योजना का नियोजन सम्बन्धित सैक्टर संस्था द्वारा 'उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति' के प्रस्ताव पर किया जायेगा। ऐसे प्रस्ताव की संवीक्षा (Appraisal) एवं अनुमोदन (Approval) 'जिला जल एवं स्वच्छता मिशन' से भी कराया जायेगा और तदोपरान्त शासन/सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्बन्धित सैक्टर संस्था द्वारा योजना का निर्माण/क्रियान्वयन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों एवं विभागीय कार्य पद्धति (Working Manual) के संगत प्राविधानों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(3) NRDWP आदि केन्द्र पोषित कार्यक्रमों के अन्तर्गत एकल/बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं (गुरूत्व/पम्पिंग) का नियोजन एवं निर्माण/क्रियान्वयन 'उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप समिति' का प्रस्ताव प्राप्त करते हुए सम्बन्धित सैक्टर संस्था द्वारा ही संगत अधिप्राप्ति नियमावली, विभागीय कार्य पद्धति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। तथापि, ऐसी योजनाओं की संवीक्षा (Appraisal) एवं अनुमोदन (Approval) योजना की लागत के अनुसार ₹ 50.00 लाख तक लागत की योजना के लिए 'जिला जल एवं स्वच्छता मिशन' द्वारा, ₹ 50.00 लाख से अधिक किन्तु ₹ 100.00 लाख तक लागत की योजना हेतु 'राज्य जल स्वच्छता मिशन' द्वारा तथा ₹ 100.00 लाख से अधिक की लागत की योजना के लिए शासन द्वारा किया जायेगा।

(4) विश्व बैंक आदि वाह्य सहायतित कार्यक्रमों के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं (गुरूत्व/पम्पिंग) का नियोजन एवं निर्माण/क्रियान्वयन केन्द्र पोषित योजनाओं की भाँति ही उक्तानुसार किया जायेगा, किन्तु यदि बाह्य सहायता प्रदान करने वाली संस्था द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया एवं उक्तानुसार केन्द्र पोषित कार्यक्रम हेतु निरूपित प्रक्रिया में एकरूपता न हो तो उस स्थिति में वाह्य सहायता प्रदान करने वाली संस्था द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(5) पेयजल योजनाओं के नियोजन के अन्तर्गत सामान्यतया गुरूत्व आधारित पेयजल योजनाओं के निर्माण पर बल दिया जायेगा और पम्पिंग योजना की अपरिहार्यता की स्थिति में सैक्टर संस्था के सम्बन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा यह स्पष्ट प्रमाण पत्र डी.पी.आर. के साथ लगाया जायेगा कि गुरूत्व योजना के सभी संभाव्य विकल्पों की जांच करा ली गयी है और गुरूत्व आधारित कोई योजना संभव नहीं है। इसी प्रकार, बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं (गुरूत्व/पम्पिंग)का निर्माण तभी किया जायेगा जबकि एकल ग्राम पेयजल योजना का निर्माण तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से संभाव्य/औचित्यपूर्ण न पाया जाय। इसके अतिरिक्त प्रत्येक योजना की डी.पी.आर. तैयार करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत पेयजल निगम एवं जल संस्थान के सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं के द्वारा परस्पर गहन विचार–विमर्श एवं समन्वय कर संभाव्य एवं मितव्ययी तकनीक आधारित योजना का नियोजन किया जायेगा तथा डी.पी.आर. पर दोनों की सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किए जायेंगे।

(6) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं (एकल ग्राम/बहुल ग्राम तथा गुरूत्व/पम्पिंग सभी) के पुनर्निर्माण सम्बन्धी समस्त कार्यों का नियोजन/क्रियान्वयन नामित सैक्टर संस्था द्वारा ही अधिप्राप्ति नियमावली एवं विभागीय कार्य पद्धति के अनुसार किया जायेगा और यदि इन कार्यों के लिए वित्त पोषण करने वाली संस्था द्वारा कोई अन्य प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा की जाय तो वित्त पोषण करने वाली संस्था के दिशा–निर्देश के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

(7) एकल/बहुल ग्राम पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह/धनाबंटन एवं व्यय की विधि वह होगी जैसा कि वित्तीय स्वीकृति/धनाबंटन से सम्बन्धित आदेश में विहित किया गया हो।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से एवं ऐतद्विषयक पूर्व निर्गत किन्हीं आदेशों के असंगत होते हुए भी लागू होंगे तथा इस आदेश में निहित प्राविधानों की सीमा तक पूर्व निर्गत समस्त आदेश संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या 1545/उन्तीस(2)/16-02 (22पेय.)/2004टी.सी.-1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा. पेयजल मंत्री को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, स्वजल परियोजना, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी. देहरादून।
12. प्रभारी मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव